"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 319] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 19, शक 1932

राजभवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2010

आदेश

क्रमांक 671/207-VIP/2010/रास/यू.4.—प्रोफेसर गीता पेंटल, कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ द्वारा कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के पद से उनके आवेदन दिनांक 15-11-2010 द्वारा 30 दिवस की समय पूर्व सूचना सहित दिया गया त्यागपत्र एतद्द्वारा दिनांक 14-12-2010 से स्वीकृत किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2010

आदेश

क्रमांक 673/207-VIP/2010/रास/यू.4.—प्रोफेसर गीता पेंटल, कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ द्वारा अपने पद से दिया गया त्याग पत्र स्वीकार किये जाने के कारण रिक्त हुये कुलपति के पद पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (संशोधित) अधिनियम, 2005 की धारा 12 ए (4) के प्रावधानों के तहत प्रो. (डॉ.) टी. उन्नीकृष्णन, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ को अस्थायी रूप से नियमित कुलपति की नियुक्ति होने अथवा आगामी छः माह, जो भी कम हो, तक के लिए कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का कार्य निष्पादन करने के लिए नामांकित करता हूं.

2. प्रो. (डॉ.) टी. उन्नीकृष्णन इस अवधि में कुलपति के दैनंदनी (Routine) कार्य निष्पादित करेंगे. नीति विषयक कोई निर्णय नहीं लेंगे. उनके द्वारा नियुक्ति आदि संबंधी कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी.

हस्ता./-
(शेखर दत्त)
कुलाधिपति.

संचालक, मुद्रण लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.